न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन ... R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र
संख्या 193/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सीकाराम पुत्र मगाराम 2. मरगी पत्नि मगाराम जातिगण- घांची निवासीगण- सनवाड़ा तहसील- आहोर		1. केलीदेवी पत्नि हंसराज 2. मोडाराम पुत्र जीवा जातिगण- घांची निवासीगण- सनवाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर जिला- जालोर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 R. L. R. Act 1956

उपस्थिति:- श्री संजय खांन वकील प्रार्थीगण
तहसीलदार आहोर अप्रार्थी सं. 3

निर्णय

दिनांक 31-10-17

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम सनवाड़ा तहसील आहोर में खसरा नम्बर 123 से 132 कुल रकबा 3.62 हैक्टर स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है। उक्त आराजी के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 2.44 है० खसरा नम्बर 121 रकबा 0.53 है० एवं खसरा नम्बर 122 रकबा 0.42 हैक्टर आयी हुई है। अपनी-अपनी खातेदारी आराजी की सीमा पर माढ बनाकर सीमांकन किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा माढ को तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी के अन्दर 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण कर कब्जा करने का

उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर

प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उन्हे रोका जाने पर हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारु हो जाते है। प्रार्थीगण की मेड़ पर लगे पेड़ो को भी काटकर ले गये है। पुराने सीमांकन के निशान को भी मिटा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना आहोर में पेश की गयी थी। जिसमें मेड़ को हटाकर प्रार्थीगण की भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास बताया है। प्रार्थीगण के परिवार सदस्यों के साथ मारपीट की गयी थी। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार आहोर को प्रार्थना-पत्र पेश करने पर दिनांक 23-4-15 को पैमाईश की गयी थी लेकिन उसका सीमांकन नही किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय आहोर में दिनांक 25-4-17 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का चरली द्वारा पैमाईश की गयी, जिसमे प्रार्थीगण की भूमि के कुछ हिस्से पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया, परन्तु सम्पूर्ण भूमि का सीमांकन नही किया गया एवं न ही निशानी हेतु चिन्ह लगाये गये। अप्रार्थीगण जबरदस्ती बल पूर्वक प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अपने हक से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर उतारु है। इस कारण मौके पर लड़ाई झगड़ा होने व अशांति फैलने का पूर्ण अंदेशा है। प्रार्थी सं0 1 व्यापारिक कार्य से बाहर रहता है तथा अप्रार्थी सं0 2 अत्यन्त वृद्ध है तथा अपने विकलांग पुत्र के साथ ग्राम सनवाड़ा ही रहती है। अप्रार्थीगण को मना करने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा करते है तथा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकिया भी दे रहे है। अप्रार्थीगण मेड़ को खुर्द-बुर्द कर प्रार्थीगण के खेतो में अतिक्रमण करने हेतु प्रवेश कर रहे है। खेतो के बीच की मेड़ को हटा दिया है। पुराने पेड़ो को उखाड़ कर फैंक दिया है। इस कारण खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान कर मेड़ कायम करने व सीमा चिन्ह लगाने हेतु आज्ञा पारित करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। विनाश कारण अंतिम रूप से तय

उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर

उत्पन्न हुआ जब दिनांक 25-4-17 को पटवारी हल्का मौके पर पैमाइश करने आये, तब अप्रार्थीगण द्वारा इसका विरोध किया गया। तब मजबूर होकर यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है, कि ग्राम जावड़ा के खसरा नम्बर 123 से 132 कुल रकबा 3.62 हैक्टर से लगती हुई अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 113, 121, 122 की आराजी के बीच सीमाज्ञान करवाने तथा सीमांकन हेतु चिन्ह कायम करवाने के लिये निष्पक्ष आयोग गठित करने का अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जावे तथा सीमाज्ञान के पश्चात दोनो पक्षकारो के खेतो के बीच राजस्व नक्शे के अनुसार खेतो की माढ़ चिन्हांकित कर सीमाचिन्ह लगाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 नोटिस तामील के बावजूद भी गैर हाजिर रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। तथा तहसीलदार आहोर द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार आहोर की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है, कि हमें हमारी खातेदारी की सीमा तक ही अधिकार चाहिए तथा खातेदारी भूमि की सीमा पर ही सीमा चिन्ह लगाकर माढ़ कायम करना चाहते है। हमें अप्रार्थीगण की खातेदारी में से किसी हिस्से को प्राप्त नहीं करना है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार करवाकर पैमाइश के साथ ही पत्थर गढ़ी के आदेश फरमावे। तहसीलदार आहोर द्वारा कथन किया गया, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार होने एवं पैमाइश होकर पत्थर गढ़ी होने पर दोनो पक्षो के मध्य माढ़ का विवाद समाप्त होगा। अतः

उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही है। और कोई नई बात नही कही।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी आराजी एक-दूसरे के खेत से लगती हुई है। पैमाईश होकर पत्थरगढ़ी नही होने पर पक्षकारान के मध्य मांड को लेकर विवाद होना संभव है। सीमा विवाद होने पर तहसीलदार आहोर के आदेश की पालना में पटवारी एवं भू. अ. नि. द्वारा पैमाईश करने की मौका फर्द दिनांक 23-4-15 व 25-4-17 को तैयार भी की गयी है। इससे यह साबित हो रहा है, कि पक्षकारों के मध्य मांड को लेकर विवाद अवश्य है। और इसका समाधान पैमाईश के साथ पत्थर गढ़ी किये जाने पर ही संभव प्रतीत हो रहा है। साथ ही दोनो पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में उक्त कार्य किया जाना भी आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है, कि सरहद मौजा जनवाड़ा तहसील आहोर के खसरा नं. 123 से 132 एवं खसरा नं. 113, 121, 122 की आराजी की पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अनुभवी पटवारी / भू. अ. नि. एवं कानूनगो सहित कमेटी का गठन करे तथा पुलिस इमदाद के साथ पैमाईश व पत्थरगढ़ी करवायी जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार पैमाईश शुल्क राजकोष में जमा करावे तथा पत्थरगढ़ी का खर्चा स्वयं वहन करे। पैमाईश व पत्थरगढ़ी से पूर्व सम्बन्धित खातेदार काश्तकारों को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय जरिये इजलास पढ़कर सुनाया गया।

[signature]
(मनमोहन व्यास) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर

उपखण्ड अधिकारी, आहोर, जिला जालोर (राज.)